



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)  
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 28, 1993/वैशाख 8, 1915

No. 155]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 28, 1993/VAISAKHA 8, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 1993

सा. का. नि. 386(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और  
धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित  
नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में,—

(क) नियम 14 में,—

(1) “संपरीक्षा रिपोर्ट” शब्दों के स्थान पर जहां-जहां वे आते हैं “विवरण” शब्द रखा जाएगा ;

(2) “15 मई” के अंक और शब्द के स्थान पर “30 सितम्बर” शब्द रखे जाएंगे।

(ख) परिशिष्ट "क" में प्ररूप-5 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :—

"प्ररूप - 5"

(नियम 14 देखिए)

31 मार्च, 1953 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए पर्यावरण विवरण ।

भाग-क

- (1) उद्योग, संक्रिया या प्रसंस्करण के स्वामी/अभिष्ठाता का नाम और पता
- (2) उद्योग प्रवर्ग  
प्राथमिक :— (एस. आई. सी. कोड)  
द्वितीय :— (एस. आई. सी. कोड)
- (3) उत्पादन क्षमता :— इकाइयां
- (4) स्थापना का वर्ष
- (5) प्रस्तुत किए गए अंतिम पर्यावरण विवरण की तारीख

भाग-ख

जल और कच्ची सामग्री का उपभोग

- (1) जल उपभोग एम 3/डी  
प्रसंस्करण  
शीतलन  
घरेलू

उत्पादन का नाम	उत्पादन में प्रति एकक उत्पाद/प्रसंस्करण जल उपभोग	
	पूर्व वित्त वर्ष के दौरान	चालू वित्त वर्ष के दौरान
	(1)	(2)
1.		
2.		
3.		

## (II) कच्ची सामग्री का उपभोग

*कच्ची सामग्री का नाम	उत्पाद का नाम	उत्पादन के प्रति एकक कच्ची सामग्री का उपभोग	
		पूर्व वित्त वर्ष के दौरान	चालू वित्त वर्ष के दौरान

\* यदि कच्ची सामग्री के ब्यौरे प्रकट करने से संविदात्मक बाध्यताओं का उल्लंघन हो उद्योग कोड का प्रयोग कर सकेंगे अन्यथा सभी उद्योगों का प्रयुक्त कच्ची सामग्रियों के नाम हो देने होंगे ।

## भाग—ग

पर्यावरण/उत्पादन एकक में निस्सारित प्रदूषण  
(जारी की गई सहमति में यथाविनिर्दिष्ट पैरामीटर)

प्रदूषक	निस्सारित प्रदूषण की मात्रा (द्रव्यमान/प्रतिदिन)	निस्सरणों में प्रदूषकों का सांद्रण (द्रव्यमान/मात्रा)	विहित मानकों से घट-बढ़ की प्रति- शतता और उनके कारण
(क) जल			
(ख) वायु			

## भाग—घ

## परिसंकटमय अपशिष्ट

(परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंध और ह्वालन) नियम, 1989 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट)

परिसंकटमय अपशिष्ट	कुल मात्रा (किलोग्राम)	
	पूर्व वित्त वर्ष के दौरान	चालू वित्त वर्ष के दौरान
(क) प्रसंस्करण से		
(ख) प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं से		

## भाग—ङ

## ठोस अपशिष्ट

	कुल मात्रा	
	पूर्व वित्त वर्ष के दौरान	चालू वित्त वर्ष के दौरान
(क) प्रसंस्करण से		
(ख) प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं से		
(ग) (1) एकक में पुनश्चक्रित या पुनः उपयोग की गई मात्रा		
(2) बिक्रय की गई (3) व्ययन की गई।		

## भाग—च

कृपया परिसंकटमय और साथ ठोस अपशिष्ट के लक्षण (संश्लेषण और मात्रा के निबंधनों के अनुसार) विनिर्दिष्ट करें और इन दोनों प्रबंधनों के लिए अपनाई गई व्ययन पद्धति उपबंधित करें।

## भाग—छ

प्राकृतिक साधनों के संरक्षण और उत्पादन लागत पर किए गए प्रदूषण उपसंयोजन उपायों का प्रभाव।

## भाग—ज

पर्यावरण संरक्षण के लिए, जिसके अन्तर्गत प्रदूषण का निवारण भी है, अतिरिक्त उपाय/विनिर्धान प्रस्ताव।

## भाग—अ

पर्यावरण की क्वालिटी का सुधार करने के लिए विधिष्टियां।

[फा. सं. न्यू. 15015/1/90 - सी पी ए]

मुकुल सनवाल, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मूल नियमों को 19 नवम्बर, 1986 की अधिसूचना संख्या सा. आ. 844 (ई) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और बाद में निम्नलिखित के द्वारा संशोधित किया गया —

- (1) सा. आ. 82(ई) दिनांक 16 फरवरी, 1987;
- (2) सा. आ. 393(ई) दिनांक 16 अप्रैल, 1987;
- (3) सा. आ. 443(ई) दिनांक 18 अप्रैल, 1987;
- (4) सा. आ. 64(ई) दिनांक 18 जनवरी, 1988;
- (5) सा. का. नि. 919(ई) दिनांक 12 सितम्बर, 1988;
- (6) सा. आ. 8(ई) दिनांक 3 जनवरी, 1989;
- (7) सा. का. नि. 913(ई) दिनांक 24 अक्टूबर, 1989;
- (8) सा. आ. 914(ई) दिनांक 24 अक्टूबर, 1989;
- (9) सा. का. नि. 931(ई) दिनांक 27 अक्टूबर, 1989;
- (10) सा. का. नि. 1063(ई) दिनांक 25 दिसम्बर, 1989;
- (11) सा. आ. 12(ई) दिनांक 8 जनवरी, 1990;
- (12) सा. का. नि. 54(ई) दिनांक 5 फरवरी, 1990;
- (13) सा. आ. 136(ई) दिनांक 9 फरवरी, 1990;
- (14) सा. का. नि. 742(ई) दिनांक 13 अगस्त, 1990;
- ×(15) सा. आ. 23(ई) दिनांक 16 जनवरी, 1991; -
- ×(16) सा. आ. 80(ई) दिनांक 8 फरवरी, 1991; -
- ×(17) सा. आ. 114(ई) दिनांक 19 फरवरी, 1991; -
- ×(18) सा. का. नि. 85(ई) दिनांक 20 फरवरी, 1991; -
- ×(19) सा. का. नि. 93(ई) दिनांक 21 फरवरी, 1991; -
- ×(20) सा. आ. 190(ई) दिनांक 18 मार्च, 1991; -
- ×(21) सा. आ. 416(ई) दिनांक 20 जून, 1991; -
- (22) सा. आ. 479(ई) दिनांक 25 जुलाई, 1991; -
- (23) सा. आ. 23(ई) दिनांक 9 जनवरी, 1992;
- (24) सा. आ. 329(ई) दिनांक 13 मार्च, 1992।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 1993

G.S.R. 386(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 1993.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

## 2. In the Environment (Protection) Rules, 1986,—

(a) in rule 14,—

- (i) for the words "audit report" wherever they occur, the word "statement" shall be substituted;
- (ii) for the figures, letters and words "15th day of May" the words "thirtieth day of September," shall be substituted.

(b) In Appendix 'A', for FORM-V, the following form shall be substituted, namely :—

**"FORM-V**

(See rule 14)

Environmental Statement for the financial year ending the 31st March.....

**PART—A**

- (i) Name and address of the owner/occupier of the industry operation or process.
- (ii) Industry category Primary.—(STC Code) Secondary.—(SIC Code)
- (iii) Production capacity.—Units—
- (iv) Year of establishment.
- (v) Date of the last environmental statement submitted.

**PART—B****Water and Raw Material Consumption**(1) Water consumption m<sup>3</sup>/d

Process

Cooling

Domestic

Name of products	Process water consumption per unit of product output.	
	During the previous financial year.	during the current financial year.
	(1)	(2)
(1)		
(2)		
(3)		

(ii) Raw material consumption

*Name of raw materials	Name of products	Consumption of raw material per unit of output.	
		during the previous financial year	during the current financial year

\*Industry may use codes if disclosing details of raw material would violate contractual obligations, otherwise all industries have to name the raw materials used.

**PART C**

Pollution discharged to environment/unit of output

(Parameter as specified in the consent issued)

(1) Pollutants	Quantity of pollutants discharged (mass/day)	Concentrations of pollutants in discharges (mass/volume)	Percentage of variation from prescribed standards with reasons.
(a) Water			
(b) Air			

**PART—D****HAZARDOUS WASTES**

(as specified under Hazardous Wastes/Management and Handling Rules, 1989)

Hazardous Waster	Total Quantity (Kg.)	
	during the previous financial year	during the current financial year.
(a) From process		
(b) From pollution control facilities.		

**PART—E****Solid Wastes.**

	Total Quantity	
	during the previous financial year	during the current financial year.
(a) From process		
(b) From pollution control facility		
(c) (1) Quantity recycled or re-utilised within the unit		
(2) Sold		
(3) Disposed.		

**PART-F**

Please specify the characterisations (in terms of composition and quantum) of hazardous as well as solid wastes and indicate disposal practice adopted for both these categories of wastes.

**PART—G**

Impact of the pollution abatement measures taken on conservation of natural resources and on the cost of production.

**PART—H**

Additional measures/investment proposal for environmental protection including abatement of pollution, prevention of pollution.

**PART—I**

Any other particulars for improving the quality of the environment.

[F.No. Q-15015/1/99-CPA]  
MUKUL SANWAL, Jr. Secy.

Foot Note.— The principal rules were published in the Gazette of India vide Notification No. S.O. 844 (E) dated the 19th November, 1986 and subsequently amended vide—

- (1) S.O. 82(E) dated the 16th February, 1987; ✓
- (2) S.O. 393(E) dated the 16th April, 1987; ✓
- (3) S.O. 443(E) dated the 18th April, 1987; ✓
- (4) S.O. 64 (E) dated the 18th January, 1988;
- (5) G.S.R. 919(E) dated the 12th September, 1988;
- (6) S.O. 8(E) dated the 3rd January, 1989; ✓
- (7) G.S.R. 913(E) dated the 24th October, 1989;
- (8) S.O. 914(E) dated the 24th October, 1989; ✓
- (9) G.S.R. 931(E) dated the 27th October, 1989;
- (10) G.S.R. 1063(E) dated the 25th December, 1989;
- (11) S.O. 12(E) dated the 8th January, 1990;
- (12) G.S.R. 54(E) dated the 5th February, 1990;
- (13) S.O. 136(E) dated the 9th February, 1990;
- (14) G.S.R. 742(E) dated the 13th August, 1990;
- (15) S.O. 23(E) dated the 16th January, 1991;
- (16) S.O. 80(E) dated the 8th February, 1991;
- (17) S.O. 114(E) dated the 19th February, 1991;
- (18) G.S.R. 85(E) dated the 20th February, 1991;
- (19) G.S.R. 93(E) dated the 21st February, 1991;
- (20) S.O. 190(E) dated the 18th March, 1991;
- (21) S.O. 416(E) dated the 20th June, 1991;
- (22) S.O. 479(E) dated the 25th July, 1991;
- (23) S.O. 23(E) dated the 9th January, 1992;
- (24) G.S.R. 329(E) dated the 13th March, 1992.

